हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 01/2023 बउनवान जेठूदान बनाम तिलोकदान वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

आदेश

दिनांक 19.03.2025

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री बसीर मोहम्मद।
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री देरावरसिंह भाटी।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कोड़ा के हाल खसरा संख्या 199 रकबा 4.9187 व खसरा संख्या 36 रकबा 5.1452 व खसरा संख्या 367 रकबा 5.6873 व खसरा संख्या 372 रकबा 5.8814 कुल रकबा 21.6326 हैक्टयर अवस्थित हैं। अपीलाधीन आराजी वादी जेठूदान जब से होश संभाला है तब से वह अपनी पीढियाती भूमि दादा आवड़दान की भूमि जो प्रतिवादी तिलोकदान के बंट में आई उसमें मेहनत मजदूरी में सामलाती कब्जा काश्त में खेत को जोत रहा है तथा वह तिलोकदान का पुत्र होने से जन्म जात से ही वारिस है और इस जमीन में उसक हक है। ग्राम कोडा के खसरा संख्या 372 रकबा 5.8814 जो लिखपढी दिनांक 14.11.2018 के जरिये स्वेच्छा से ठेके पर 6 साल के लिये दी। उसमें अपीलांट को बेरा आदि खोदने की व उसको खर्चा लगाने के लिये दी गई थी। वादी के दादा आवड़दान व उसके पूर्वजों की सम्पति है। उक्त सम्पति प्रतिवादी संख्या 01 तिलोकदान जो वादी का पिता है। अन्य लोगों के व अपने पुत्र कैलाशदान पुत्र तिलोकदान के दबाव में आकर बदला लेने की नियत से गैरकानूनी तरीके से विवादग्रस्त जमीन को हस्तांतरण अथवा बेचान आदि करने को उतारू हैं। इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मूल वाद के संलग्न राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत आवेदन पेश किया गया। जिसमें अस्थाई व्यादेश खारिज कर प्रकरण का अंतिम निस्तारण कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2023 के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निस्तारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलाधीन आराजी अपीलांट की पैतृक संपत्ति हैं। श्रीमान न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभाव होने के बावजूद अपीलाधीन आराजी का बेचान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने हेतु प्रयासरत हैं तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के पक्ष में स्थगन आदेश पारित नहीं करने की वजह से अपीलांटस द्वारा अपील के जरिये प्रकरण को अनावश्यक चुनौती दी गई। उतरदाता अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आराजी पैतृक नहीं होकर वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त के अनुसार उतरदाता की खातेदारी भूमि है जिसमें अपीलांटस द्वारा गलत तरीके से दावा पेश कर जमीन हड़पने की नियत से अपील के जरिये उतरदाता के विरूद्ध स्थगन प्राप्त करना चाहता है। इसलिए अपीलाधीन आराजी में वक्त सेटलमेंट जो हिस्से दर्ज हुए वो बिलकुल विधि सम्मत हैं। माननीय न्यायालय द्वारा पारित व्यादेश से उतरदाता को बाधित किया जाता है तो उतरदाता को अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया मामला एवं

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
डाडमेर

सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनपुस्थिति में एकतरफा पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी को खुर्द बुर्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। दावे के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी का हस्तांतरण किया गया। स्थगन को हटाया जाता है तो व्यर्थ ही मुकदमेंबाजी में वृद्धि होगी। न्यायालय का यह कर्तव्य बनता है कि वाद के विचारण में होने पर प्रश्नगत संपत्ति कर संरक्षण करें। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु अपीलांटगण के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट द्वारा पेश अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व आवेदन संख्या 39/2022 बउनवान जेठुदान बउनवान तिलोकदान वगैरह में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2023 को अपास्त किया जाता है। हाजा न्यायालय पारित स्थगन आदेश दिनांक 01.02.2023 मूल वाद के निस्तारण तक कंफर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलास दिनांक 19.03.2025 को सुनाया गया।

19/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर